

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 189/2022

Navratan Choudhary Son Of Late Shri Heera Lal Choudhary

----Appellant

Versus

Smt. Achala Devi Choudhary Wife Of Late Shri Heera Lal Choudhary

----Respondent

Connected With

S.B. Cross Objection (Civil) No. 13/2022

Navratan Choudhary Son Of Late Shri Heera Lal Choudhary,

----Appellant

Versus

Smt. Achala Devi Choudhary Wife Of Late Shri Heera Lal Choudhary,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Rahul Sharma Mr. Utkarsh Goyal
For Respondent(s)	:	Mr. Abhimanyu Singh for R-2 R K Mathur Sr. Adv. assisted by Mr. Aayush Goyal

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/12/2025

S.B. Civil First Appeal No. 189/2022-

स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 286/2023 प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसका जवाब अपीलार्थी की ओर से दिनांक 03.09.2025 को शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त सम्पूर्ण जवाब त्रुटिवश प्रस्तुत हो गया है और इसमें गलत तथ्यात्मक स्थिति अंकित हो गई है और शपथपत्र भी गलत प्रस्तुत हो गया है। अतः इस जवाब और शपथपत्र को अभिलेख से हटाया जावे और नया जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

ऐसी स्थिति में दिनांक 03.09.2025 के जवाब और शपथपत्र को अभिलेख से हटाया जाता है। उक्त जवाब पर लाल स्याही से इस आशय का नोट भी अंकित किया जावे कि “आदेश दिनांक 03.12.2025 द्वारा यह जवाब व शपथपत्र अभिलेख से हटाया गया।”

अपीलार्थी अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह में स्थगन प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर उसकी प्रति प्रत्यर्थी अधिवक्ता को उपलब्ध करावें।

प्रकरण दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

S.B. Cross Objection (Civil) No. 13/2022-

प्रकरण दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J